

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 624 / 2022 /१०.....


दिनांक : ०५/०१/२०२४

-:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय में पदस्थापित श्री गोपाल लाल मीणा, तामिल कुनिन्दा के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् चौथी संतान होने के कारण पूर्व स्वीकृत 18 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिनांक 27.02.2010 के स्थान पर दिनांक 27.02.2015 से संशोधित/स्वीकृत किये जाने व अधिक आहरित वेतन की अन्तर राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् 7 वें वेतन आयोग में विकल्प दिनांक 01.01.2016 को पूर्व में किये गये वेतनस्थिरीकरण व उक्तानुसार वार्षिक वेतनवृद्धियों को संशोधित किये जाने के उपरांत किये गये वेतनस्थिरीकरण में एक समान मूल वेतन रूपये 28400/- (एल-3) पर वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर कर्मचारी की दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 01.07.2020 की वेतनवृद्धियां पूर्वानुसार यथावत रहेगी एवं कर्मचारी से उक्तानुसार संशोधित वेतनस्थिरीकरण के तहत भी कोई राशि वसूलनीय नहीं होगी।

कर्मचारी को विभागीय पदोन्नति/एसीपी समिति अनुशंसा के आधार पर उपरोक्तानुसार 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी लाभ दिनांक 27.02.2015 से एवं 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.12.2020 के आधार पर दिनांक 18.12.2020 से स्वीकृत किया गया है।

नोट:- उपरोक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी के सेवारोल में किया जावे।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : 624 / 2022 /११.....

दिनांक : ०५/०१/२०२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. संबंधित कर्मचारी
4. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय